



SITAPUR POLICE

“सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा”



प्रेस नोट-जनपद सीतापुर

हत्याभियुक्त गिरफ्तार, आलाकत्ल बरामद

दिनांक:-01.10.2026

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री अंकुर अग्रवाल द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम व नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही/शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री दुर्गेश कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सिधौली श्री वेदप्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में थाना सिधौली पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 368/2026 धारा 103(1)/238(a) बीएनएस की विवेचना व प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त **गुड्डू पुत्र स्व. बुद्धा निवासी ग्राम मनिकापुर थाना सिधौली जनपद सीतापुर** को जल्लाबाद मोड से गिरफ्तार किया गया है। जिसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद लोहे की पाइप बरामद हुआ है।

अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि दिनांक 29/30.09.2026 की रात्रि को मृतक संदीप रावत उर्फ पानू पुत्र बलराम नि.मनिकापुर थाना सिधौली सीतापुर व आरोपी गुड्डू उपरोक्त (जो मृतक का चचेरा भाई है) में शराब पीकर आपस में झगड़ा/कहासुनी हो गई, जिसमें अभियुक्त गुड्डू उपरोक्त द्वारा अपने चचेरे भाई पर लोहे की पाइप से सिर पर प्रहार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा उसके शव को घर के ही पास स्थित तालाब में फेंक दिया था। प्राप्त तहरीरी सूचना के आधार पर थाना सिधौली पर मुकदमा अपराध संख्या 368/2026 धारा 103(1)/238(a)BNS उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त गुड्डू उपरोक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया है। जनपद में अपराध एवम् अपराधियों के विरुद्ध निरंतर एवम् प्रभावी कार्यवाही इसी प्रकार चलती रहेगी।

नाम/पता अभियुक्त- गुड्डू पुत्र स्व. बुद्धा निवासी ग्राम मनिकापुर थाना सिधौली जनपद सीतापुर

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 368/2026 धारा 103(1)/238(a)BNS थाना सिधौली सीतापुर

बरामदगी:- 01 अदद लोहे की पाइप

पुलिस टीम –

1. प्र० नि० श्री विजयेन्द्र सिंह
2. उ० नि० हरिशचन्द्र यादव
3. उ० नि० दयानन्द झा
4. हे० का० विजय सिंह
5. रि० का० अनिल कुमार मिश्रा
6. रि० का० रिकू

